मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई, 2010 (आषाढ़ 31, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-20-2009-1-पांच (58) दिनांक 12 मई, 2010,

(ख) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-10-2010-1-पांच (57) दिनांक 7 मई, 2010, तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(1) क्रमांक एफ-ए-3-19-09-1-पांच (29) दिनांक 20 नवम्बर, 2009,
(2) क्रमांक एफ-ए-3-18-2009-1-(33)-पांच दिनांक 22 दिसम्बर, 2009,
(3) क्रमांक एफ-ए-3-69-2007-1-पांच (36) दिनांक 27 जनवरी, 2010,
(4) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (37) दिनांक 29 जनवरी, 2010,
(5) क्रमांक एफ-ए-3-7-2010-1-पांच (45) दिनांक 1 अप्रैल, 2010,
(6) क्रमांक एफ-ए-3-6-2010-1-पांच (44) दिनांक 1 अप्रैल, 2010, तथा
(7) क्रमांक एफ-ए-3-19-2009-1-पांच (60) दिनांक 18 मई, 2010,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य , उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3)(ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त दिनांक 31 मार्च, 2005), तथा

(ख) मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का इक्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए,

पटल पर रखेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 664-एफ(3)20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 20 मई, 2010 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, ऊर्जा -

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2005-2006 (जून 2005 से मार्च, 2006) तथा वर्ष 2006-2007,

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि हेतु ; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक 547-एमपीईआरसी /2010, दिनांक 3 मार्च, 2010,
(2) क्रमांक 914-म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 13 अप्रैल, 2010,
(3) क्रमांक 1380 म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 2 जून, 2010, तथा
(4) क्रमांक 1548-म.प्र.विनिआ-2010, दिनांक 14 जून, 2010

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, देवास नगर के समीप स्थित सौरभ डेयरी द्वारा प्रदूषित अपशिष्ट छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के खोड़सा स्थित निजी तालाब से सिंचाई हेतु पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

(क) तहसील करैरा के ग्राम बघेदरी से करैरा मार्ग पर दिनऊआ नाले पर स्टाप डेम रपटा बनाये जाने,
(ख) तहसील नरवर के ग्राम फतेहपुर और खडीचा ग्राम के बीच नाले पर स्टाप डेम कम रपटा बनाये जाने,
(ग) तहसील नरवर के ग्राम-कलोघरा में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(घ) तहसील-नरवर के ग्राम मिल्हारी में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,
(ङ) तहसील-नरवर के ग्राम-कैरवोदा से खरदेड़ा तक द्वितीय चरण सड़क बनाये जाने,
(च) तहसील-नरवर के ग्राम-खिरियाघाट में पार्वती नदी पर ब्रिज निर्माण किये जाने,
(छ) तहसील-नरवर के ग्राम-निजामपुर में रज्जू राठौर के मकान से पुराने निजामपुर तक सी.सी.रोड निर्माण किये जाने,
(ज) तहसील-नरवर के ग्राम-मिल्हारी में यात्री प्रतिक्षालय निर्माण किये जाने,
(झ) तहसील-करैरा के ग्राम-आमोलपठा से जयनगर मार्ग पर आमरा नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,
(ञ) तहसील-करैरा के ग्राम-दीवट से दीदावली के बीच नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,
(ट) तहसील-करैरा के ग्राम-आमोलपठा से कुण्डलपुर व्हाया शंकरगढ़ तक सड़क निर्माण किये जाने,
(ठ) तहसील करैरा के ग्राम-आढ़ंर से खैराकोटिया,लालपुर रोड तक द्वितीय चरण सड़क निर्माण किये जाने,
(ड) तहसील-नरवर के ग्राम-मंगरौनी बाजार, निजामपुर, देवरी तक सी.सी. रोड निर्माण किये जाने, तथा
(ढ) तहसील-नरवर के ग्राम-निजामपुर के मेला ग्राउण्ड में रोड तथा चबूतरा निर्माण किये जाने,

(2) श्री राम लल्लू वैश्य, सदस्य, सिंगरौली जिले के -

(क) विकासखण्ड बैढन की शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) विकासखण्ड बैढन की शासकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने, तथा
(ग) विकासखण्ड सिंगरौली के ग्रामों की ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण किये जाने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2010-2011 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा

(2) श्री अजय विश्नोई , पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में विद्युत की कमी, अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत दरों में वृद्धि के संबंध में डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्री रामनिवास रावत तथा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2010